**संख्या-101/2024/I/804889/2024/001-71-2099-263-2021-4**

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
2- निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
3- निदेशक, बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2** **लखनऊ : दिनांक-26 नवम्बर, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-1717 /डा0रा0म0लो0आ0सं0/वित्त एवं लेखा/2024, दिनांक 28.10.2024, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अस्प0लेखा/असाध्य रोग/272/2200/ 2024, दिनांक 24.10.2024 एवं वित्त अधिकारी, बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के पत्र संख्या-बा0चि0स्ना0शै0सं0/वि0विभाग/2024/346, दिनांक 30.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व पक्ष में चिकित्सा संस्थानों हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिकानुसार धनराशि 720.00 लाख (रुपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**रू0 लाख में**

| क्र0सं0 | कालेज/संस्थान का नाम | वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ | 500.00 |
| 2 | एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ | 200.00 |
| 3 | बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान नोएडा | 20.00 |
| | **योग** | **720.00** |

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. संबंधित संस्थान के निदेशक, का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
4. उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित 2021 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/ लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231 /2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं संशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19.06.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि को कोषागार से संबंधित चिकित्सा संस्थान के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,65,00,000 ( रुपये बारह करोड़ पैंसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050368 आसाध्य रोगो के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-192-/दस-2024-25, दिनांक 20-11-2024 मे प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

**संख्या-101/2024/1/804889/2024/001-71-2099-263-2021-4, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/कलेक्ट्रेट लखनऊ/जवाहर भवन, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
7. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, संबंधित चिकित्सा संस्थान, लखनऊ/नोएडा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।